न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

अनुसूचि 14 फार्म सं0–162

प्रमीला देवी
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–गंगटिया न0–46

आदेष–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख...जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 21/2019–20

आदेशकी कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्वाई के बारे टिप्पणी और तार्र सहित
1	2	3
30.7.19	अंचल अधिकारी, राजमहल के पत्रांक 1028/रा0 दिनांक 23.07.2019 के द्वारा मौजा– गंगटिया, न0–46 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा– गंगटिया, न0–46 में दिनांक 02.03.2019 को श्री बबलु रविदास (वार्ड सदस्य) के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्रीमति प्रमीला देवी, पति–स्व0 अमृत रविदास, ग्राम–गंगटिया, को मौजा– गंगटिया, न0–46 में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, राजमहल ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा–गंगटिया, न0–46 एक प्रधानी मौजा है। जिसक पूर्व प्रधान श्री अमृत रविदास थे। जिनकी मृत्यु 05.09.2018 को हो गयी है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमति प्रमीला देवी, पति–स्व0 अमृत रविदास, ग्राम–गंगटिया, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज को प्रधान के रुप में चयन किया गया है। श्रीमति प्रमीला देवी पूर्व प्रधान स्व0 अमृत रविदास की पत्नी है। पूर्व से ही ग्राम में होने वाले किसी भी सार्वजनिक जन हित कार्यो में बड़–चड़ कर हिस्सा लेकर सम्पादन करती है। अतएव श्रीमति प्रमीला देवी प्रधान बनने योग्य है। अतएव अंचल अधिकारी, राजमहल के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदिका श्रीमति प्रमीला देवी को मौजा– गंगटिया, थाना न0–46 में सथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, राजमहल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	ज्ञापांक 342/प्र0 1.8.19

Scanned with CamScanner